न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/288 /2006/सीकर

1– युसूफ खां
2– बशीर खां | पुत्रगण श्री अहमद खां
3– इश्तेवर खां
4– मु0 रहमत बानो बेवा अहमद खां
5– शोकत खां पुत्र श्री अहमद खां
समस्त जाति मुसलमान कायमखानी निवासी ग्राम किरडोली तहसील व जिला सीकर।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1– अब्बास खान पुत्र श्री अलाद्दीन
2– साले मोहम्मद खां पुत्र यासीन खां
3– निसार खां पुत्र यासीन खां
4– इलियास
5– गफार | पुत्रगण अलाद्दीन
6– इकबाल
समस्त जाति मुसलमान कायमखानी निवासी ग्राम किरडोली तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेण्ट्स

7– शरीफ खां | पुत्रगण अहमद खां जाति मुसलमान कायमखानी निवासी
8– हनीफ खां | ग्राम किरडोली तहसील व जिला सीकर।
9– लियाकत खां
10–रफीक खां
11–राजस्थान सरकार।

तरतीबी रेस्पोडेण्ट्स

खण्डपीठ
श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित
श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
श्री मुकेश जैन, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

निर्णय

दिनांक 30–10–2024

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत् राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट के पिता अहमदखां ने उपखण्ड अधिकारी, सीकर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत एक वाद विरूद्ध रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी के प्रस्तुत कर ग्राम किरडोली तहसील सीकर में स्थित आराजी खसरा नंबर 136 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता यानि 48 बीघा 10 बिस्वा प्रस्तुत कर कथन

किया कि विवादित भूमि वादी की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है, जिसमें प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा नहीं है। किन्तु प्रतिवादी जबरन उसके हिस्से में हस्तक्षेप करता है। इसलिए उसके द्वारा यह स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया। दावे का जबावदावा रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई कब्जा नहीं है। क्योंकि उक्त विवादित आराजी सदैव से प्रतिवादी के कब्जे में रही है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज हो गया है। इस कारण उसके मन में बदनियती आ गई है। अतः दावा खारिज किया जावे। दावे व जबावदावे के आधार निम्न तनकियात कायम की गई :–

1– क्या भूमि खसरा नंबर 136 रकबा 21 बीघा 10 ग्राम किरडोली का वादी खातेदार काश्तकार है व खुदकाश्त में है भूमि स्वअर्जित है । जिम्मे–वादी

2– क्या वादी को उक्त कब्जाशुदा भूमि से प्रतिवादी बेदखल करने की धमकी देता है ?
जिम्मे–वादी

3– क्या विवादग्रस्त भूमि में वादी का काश्त व कब्जा है ? –वादी

4– क्या उभय पक्ष सीमा न्यायालय में होने से श्रवणाधिकार न्यायालय का है । जिम्मे–वादी

5– क्या वाद निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है। –प्रतिवादी

6– क्या पारिभाषिक अनुतोष चाहे बिना दावा निरस्त योग्य है?

7– सहायता ।

तनकियात कायम होने के बाद दिनांक 28–7–1970 को उभय पक्ष द्वारा एक राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामें के अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया। उपखण्ड अधिकारी, सीकर द्वारा दिनांक 15–2–71 को राजीनामें को तस्दीक कर पत्रावली में शामिल मिसल कर दाखिल दफ्तर कर दी । प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 मृतक यासीन खॉ के वारिस हैं। उन्होंने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी के तहत पत्रावली को पुनः नम्बर पर लेने का पेश किया, जिसे दिनांक 6–4–93 से स्वीकार कर दावे को पुनः नम्बर पर लिया गया एवं यासीन खॉ के फौत होने पर उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन प्रस्तुत किया जो दिनांक 6–4–93 से स्वीकार किया। इसके बाद एक प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत किया गया वह भी दिनांक 6–4–93 को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित डिक्री दिनांक 28–7–70 को संशोधित शीर्षक व राजीनामे के आधार पर डिक्री जारी करने का आदेश दिया । तत्पश्चात एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी प्रस्तुत कर उक्त डिक्री को राजीनामें अनुसार संशोधन करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 13–3–2003 को स्वीकार कर पूर्व में जारी डिक्री में संशोधन आदेश जारी किए । उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 3–12–2005 द्वारा विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 3–12–2005 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी ने एक प्रार्थना–पत्र 151 प्रस्तुत कर वाद को पुनःनम्बर पर लेने हेतु प्रस्तुत किया जिसके साथ आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रस्तुत कर हाल खसरा नंबर की पूर्व में हुए राजीनामें के अनुसार डिक्री जारी करने का कथन किया । उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर दिनांक 6–4–93 को डिक्री जारी कर दी किन्तु

डिक्री जारी करते समय विवादित भूमि बाबत पूर्व में हुए राजीनामा के अनुसार डिक्री जारी नहीं की एवं दोनों पक्षकारों को विभाजन के अनुसार रकबा नहीं दिया, यह त्रुटि एक लिपिकीय त्रुटि थी, जिसे दुरूस्त कराने हेतु अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151–152 सीपीसी प्रस्तुत किया, जिसे उपखण्ड अधिकारी ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् दिनांक 13–3–2003 को संशोधित डिक्री जारी की। उक्त निर्णय प्रतिवादी एवं उसके वकील की उपस्थिति में जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध 2 साल बाद मियाद बाहर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद शुमार कर प्रकरण प्रतिप्रेषित करने मे त्रुटि कारित की है। प्रकरण को रिमाण्ड करने का आदेश उन्हें नहीं देना था। उनका आदेश आदेश 41 नियम 23–ए के प्रावधानों के विपरीत है। दोनों पक्षकारों के मध्य सेटलमेंट के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि होने का कथन नहीं किया। फिर भी राजस्व अपील प्राधिकारी ने तथ्यों के विपरीत जाकर अपील में हुए विलम्ब को कण्डोन कर अपील स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 6–4–93 एवं दिनांक 13–3–2003 और राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय दिनांक 3–12–2005 को निरस्त कर प्रकरण पुनः राजस्व अपील प्राधिकारी को निर्णय हेतु भिजवाया जावे।

4– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दिनांक 13–3–70 को राजीनामा पेश हुआ। उसके बाद राजस्व अपील प्राधिकारी से पत्रावली आने पर दिनांक 15–2–71 को राजीनामा को तस्दीक कर पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी, जिस पर डिक्री का कोई आदेश पारित नहीं किया। 22 वर्ष पश्चात् अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 151–152 सीपीसी के प्रार्थना–पत्र के माध्यम से दिनांक 4–6–93 की जारी डिक्री को संशोधन कराना चाहते हैं, जो चलने योग्य नहीं था। किन्तु विचारण न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय न्यायालय ने विधिसम्मत तरीके से प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलीय न्यायालय का आदेश विधिसम्मत आदेश है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलाण्ट के पिता अहमदखां ने उपखण्ड अधिकारी, सीकर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के तहत एक वाद विरूद्ध रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी के प्रस्तुत कर ग्राम किरडोली तहसील सीकर में स्थित आराजी खसरा नंबर 136 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा पुख्ता यानि 48 बीघा 10 बिस्वा प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि उसकी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि है, किन्तु प्रतिवादी जबरन उसके हिस्से में हस्तक्षेप करता है। इसलिए उसके द्वारा यह स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया। दावे का जबावदावा रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई कब्जा नहीं है क्योंकि उक्त विवादित आराजी सदैव से प्रतिवादी के कब्जे में रही है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज हो गया है। इस कारण उसके मन में बदनियती आ गई है। अतः दावा खारिज किया जावे। दौराने दावा दिनांक 28–7–1970 को एक राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामें के अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया। दिनांक 15–2–71 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा यह आदेश पारित किया कि–

'' आज पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय से प्राप्त होने पर पेश हुई। फरीकेन में राजीनामा दिनांक 28–7–70 को इस न्यायालय में प्रस्तुत होने से तस्दीक हो चुका है, जो शामिल मिसल किया गया । अतः फरीकेन को अब नोटिस दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली दा.द.हो। ''

उक्त आदेश के पश्चात् अपीलाण्ट के पिता अहमद खां पुत्र आबदी खां ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 28–7–70 को राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री कर निर्णित कर दिया । उसके बाद पत्रावली राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में चली गई और पत्रावली वापस लौटने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 15–2–71 को दाखिल दफ्तर कर दी। प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/3 जो मृतक यासीन खॉ के वारिस हैं, उन्होंने एक आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पत्रावली पुनः नम्बर पर लेने का पेश किया, जिसे दिनांक 6–4–93 से स्वीकार कर दावे को पुनः नम्बर पर लिया गया एवं यासीनखॉ के फौत होने पर उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने का आवेदन प्रस्तुत किया जो दिनांक 6–4–93 से स्वीकार किया। इसके बाद आदेश 6 नियम 17 सीपीसी दिनांक 6–4–93 से स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित डिक्री दिनांक 28–7–70 को संशोधित शीर्षक व राजीनामे के आधार पर डिक्री जारी करने का आदेश दिया । उक्त डिक्री जो पारित की गई, वह राजीनामे के विपरीत पारित की गई है एवं न्यायालय द्वारा गलती से जारी की गई है, जो संशोधित किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय द्वारा जारी डिक्री दिनांक 6–4–93 संशोधित की जाकर दिनांक 28–7–70 के अनुसार डिक्री पारित किए जाने का निवेदन किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 13–3–2003 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151, 152 सीपीसी स्वीकार कर पूर्व में जारी डिक्री दिनांक 6–4–93 में संशोधन करने की स्वीकृति के आदेश पारित किए। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेण्ट द्वारा अपील किए जाने पर उन्होंने प्रकरण को भूमि कम होने की विसंगति का किसी भी प्रकार का खुलासा नहीं होने से अंतिम निर्णय हेतु तथ्य स्पष्ट नहीं होने के कारण प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर दिया।

हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम यह बिन्दु विचारणीय है कि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के वाद में दिनांक 28–7–70 को प्रस्तुत राजीनामें के आधार पर दिनांक 15–2–71 की आदेशिका के अनुसार डिक्री कर पत्रावली दाखिल दफ्तर की गई। इसके पश्चात् दिनांक 6–4–1993 को उपखण्ड अधिकारी ने निम्न आदेश पारित किया गया –

'' प्रार्थी/प्रतिवादी का आवेदन अ0 धारा 151 सीपीसी स्वीकार किए जाने पर पत्रावली पुनः नम्बर पर ली गई। उक्त आवेदन के संलग्न प्रस्तुत आवेदन कायममुकामान की ताईद नामान्तरकरण संख्या 142 जो विरासत के आधार पर भरा गया है, से होती है। अतः स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अ0 आदेश 6 नियम 17 सीपीसी व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर पुराने खसरा नंबर 136 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा के स्थान पर ख0 नं. 354 रकबा 3.08 हे0 व ख0नं0 355 रकबा 1.78 हे0 दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है। मुताबिक निर्णय तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सीकर दिनांक 28–7–70 संशोधित शीर्षक व नये खसरा नंबर के मुताबिक राजीनामें के आधार पर पर्चा डिक्री मुरतीब होकर जारी हो। पत्रावली दर्ज फैसल होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । ''

उक्त आदेश के पश्चात् दिनांक 20–12–93 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151–152 सीपीसी बाबत राजीनामा अनुसार डिक्री नहीं होने से इसमें संशोधन हेतु प्रस्तुत किया, जिसे बिना किसी आधारों के विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13–3–2003 से स्वीकार कर लिया, जो निरस्त योग्य है। उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह एकपक्षीय आदेश था एवं राजीनामें के मुताबिक नहीं था। इसके पश्चात् राजस्व अपील प्राधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किए बगैर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। इसके अतिरिक्त राजस्व अपील प्राधिकारी ने धारा 5 मियाद अधिनियम पर कोई स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया तथा न ही उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा चाहे गए अनुतोष पर ही ध्यान दिया गया है। अपीलीय न्यायालय ने केवल राजीनामें के तथ्यों पर ही अपना ध्यान केन्द्रित किया गया है जबकि उन्हें भूमि के पैतृक होने तथा विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की भूमि में से वादी को खातेदारी अधिकार दिए जाने के तथ्यों पर कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया है। इस कारण राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय संवहनीय नहीं है। हस्तगत प्रकरण धारा 188 से संबंधित है, जो राजीनामें के आधार पर निर्णित किया जाना है। किन्तु हस्तगत प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दो बार, प्रथम बार दिनांक 6–4–93 को और द्वितीय दिनांक 13–3–2003 को डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा दोनों डिक्री प्रार्थना–पत्र के आधार पर पारित की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2023 से 2028 में खसरा नंबर 135 रकबा 15 बीघा 5 बिस्वा, 136 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा पर अहमदखां पुत्र लाबदी खां का नाम दर्ज है। हस्तगत प्रकरण धारा 188 का है, किन्तु प्रकरण में राजीनामें के आधार पर घोषणा की डिक्री पारित की गई है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि जब दावा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत है, उसमें धारा 88 के तहत घोषणा की डिक्री किन आधारों पर जारी की गई। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी का निर्णय दिनांक 28–7–70 एवं दिनांक 6–4–93 एवं 13–3–2003 भी पुष्टि योग्य नहीं होकर खारिज योग्य है। इसी प्रकार अपीलीय न्यायालय ने बिना कोई जांच एवं परीक्षण किए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाने में त्रुटि की है। इस संबंध में हम आदेश 41 नियम 33 एवं आदेश 41 नियम 31 सीपीसी का अवलोकन करना उचित समझते हैं जो निम्न प्रकार है–

33. Power of Court of Appeal.

The Appellate Court shall have power to pass any decree and make any order which ought to have been passed or made and to pass or make such further or other decree or order as the case may require, and this power may be exercised by the Court notwithstanding that the appeal is as to part only of the decree and may be exercised in favour of all or any of the respondents or parties, although such respondents or parties may not have filed any appeal or objection and may, where there have been decrees in cross-suits or where two or more decrees are passed in one suit, be exercised in respect of all or any of the decrees, although an appeal may not have been filed against such decrees:

Provided that the Appellate Court shall not make any order under section 35A, in pursuance of any objection on which the Court from whose decree the appeal is preferred has omitted or refused to made such order.

आदेश 41 नियम 31 सीपीसी निम्नानुसार है–

31. Contents, date and signature of judgment— The judgment of the Appellate Court shall be in writing and shall state—

(a) the points for determination;

(b) the decision thereon;

(c) the reasons for the decision; and

(d) where the decree appealed from is reversed or varied, the relief to which the appellant is entitled, and shall at the time that it is pronounced be signed and dated by the Judge or by the Judges concurring therein.

इस संबंध में डी.एन.जे. 2022(2)(S.C.) पृष्ठ 710 पर यह अभिमत प्रतिपादित किया है कि–

"O.41, R. 31- First appeal-Duty of the First Appellate Court while deciding the appeal- First Appellate Court is the last Court of facts and not discharged the duties as a First Appellate Court- Duties as a First Appellate Court to reappreciate the evidence, consider the arguments and apply the law and arrive at the findings-High Court dismissed the appeal for want of any perversity and concurrent findings-While deciding the first appeal, the Courts should keep in mind the principles enumerated in O 41, R. 31 and various judgments-Held, judgments are set aside and the case is remanded to the First Appellate Court."

7– उक्त प्रावधानानुसार अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व है कि वे निर्णय पारित करते समय विवाद बिन्दुओं पर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण करें एवं प्रकरण में जांच एवं परीक्षण कर विधिसम्मत आदेश पारित करें। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा जिस प्रकार निर्णय पारित किया गया है, वह उक्तानुसार वर्णित सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, जो निरस्त योग्य है।

8– उक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत के आलोक में यह अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर का निर्णय दिनांक 3–12–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, सीकर के निर्णय दिनांक 13–3–2003, 6–4–93, 28–7–70 निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में उक्त प्रेक्षण (observations) के अनुरूप उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर साक्ष्यों एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। अन्य कोई प्रार्थना–पत्र यदि हो तो तदनुसार निर्णित किए जाते हैं। उभय पक्ष उपखण्ड अधिकारी, सीकर के न्यायालय में **दिनांक 18–12–2024** को उपस्थित हों।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष